राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.—15 / 2018

ईश्वरसिंह पुत्र श्री चन्द जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

.........**वादीगण**

बनाम

1. जिला कलक्टर महोदय झुंझुनूं।
2. राज. सरकार जरिये भू—स्वामी तहसीलदार बुहाना, झुन्झुनूं राजस्थान।

..........**प्रतिवादीगण**

दावा— रिकॉर्ड दुरूस्ती

दिनांक :— 14.12.2021

—:: निर्णय ::—

वादी की ओर से वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि—

1. यह कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 377 रकबा 68 बीधा 15 बिस्वा ग्राम की भूमि अथवा भूमि पशुओं के चराने अथवा अन्य कार्यो के प्रयोजन में लाई जाती है। जो जोहड़ जमाबंदी सं. 2014 से 2018 दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि गत खसरा नम्बर 377 को सिवायचक कर 377 / 1 नया खसरा नम्बर और जोड दिया। इस प्रकार खसरा नम्बर 377 के हाल खसरा नम्बर 143 व खसरा नम्बर 377 / 1 के खसरा नम्बर 94 नये निर्मित हुए तथा खसरा नम्बर 377 / 1 को भू प्रबन्धक अधिकारीयों ने गैर मुमकिन जोहड़ ज्यो की त्यों दर्ज कर दिया तथा इसके विपरित खसरा नम्बर 377 व 143 नये निर्मित करने के पश्चात वाद वर्णित भूमि की किस्म को गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर दिया गया। जो गलत है।
3. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 भूमि सं. 2014 से 2032 तक लगातर गत खसरा नम्बर 377 गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज है। सं. 2032 में गत खसरा नम्बर 377 में से 4.14 है. भूमि जो गैर मुमकिन जोहड दर्ज थी जिसे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के आबादी भूमि में दर्ज कर दिया। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार गैर मुमकिन जोहड व चारागाह की भूमि को आबादी भूमि या किसी अन्य कार्य हेतु परिवर्तन नही किया जा सकता है। यदि कर भी दिया जाता है तो वह अपने आप में शून्य है। जब इस विभागीय

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

गलती का पता चलता है उसी समय उसकी किस्म परिवर्तन कर पुनः जोहड की भूमि दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा सं. 2032 की गलती में या राजस्व कर्मचारियों ने जान बुझकर गत खसरा नम्बर 378, 379, 380, 381 में साथ 377मीन को भी गैर मुमकिन आगाइी दर्ज कर दिया। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। सं. 2032 के बाद में जो भी जमाबंदी निर्मित हुई उसमें गत खसरा नम्बर 377 किस्म हाल खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 है. भूमि को गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर दिया जबकि उक्त गत खसरा नम्बर 377 सम्पूर्ण गैर मुमकिन जोहड की भूमि है।

4. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में वर्णित भूमि में भूमि खसरा नम्बर 143 को गैर मुमकिन आबदी में दर्ज किया जाना राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से किया है। जिससे वाद वर्णित भूमि में अनावश्यक लोगों ने अतिक्रमण करने की बार—बार धमकी दे रहे है।
5. यह कि वाद वर्णित भूमि पर अतिक्रमियों कब्जा कर लेते है तो चारागााह भूमि गांव मे नही रहेगी। जिससे अन्य किसानों की फसल करे अधिक नुकसान होगा। जिसका मुल्याकंन मुद्रा में भी नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यो के प्रयोजन में भी बाधा उत्पन्न होगी। जिस कारण वादी को यह दावा रिकार्ड दुरूस्ती का कारण आवश्यक हुआं है।
6. यह कि जिला कलक्टर व भूमि अधिकारी के विरूद्व दावा करने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है कि दावा अत्सधिक आवश्यक प्रकृति का होने के कारण वादी धारा 80 सीपीसी का प्रार्थना पत्र बाबत प्रमीशन दावा पेश करने का दावे के साथ सलंग्न है।

वादी ने वाद—पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि—

(क). कि वाके ग्राम देवलावास स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2071—74 के गत खसरा नम्बर 143 रका 4.18 है. भूमि को गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर उसकी किस्म बदल कर गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज की जाने के आदेश फरमाया जावे।

(ख). अन्य कोई अनुतोष मांगे जाने से रह गया हो वह न्यायालय श्रीमान जी देना उचित समझे वादी को दिलवाया जावे।

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी की सम्यक् तामिल हुई।

(3) प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार बुहाना का जवाब दावा रहा कि—

1. यह है कि बिन्दू सं. 1 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।
2. यह कि बिन्दू संख्या 2 स्वीकार नही है। सिवायचक दर्ज नही किया गया है।
3. यह है किबिन्दू संख्या 3 आंशिक रूप से स्वीकार है।
4. यह कि बिन्दू संख्या 4 स्वीकार नही है।
5. यह है कि बिन्दू संख्या 5 स्वीकार नही है।
6. यह है कि बिन्दू संख्या 6 कानूननी है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

7. यह है कि बिन्दू संख्या 7 स्वीकार नही है।

प्रतिवादी सं. 2 का अतिरिक्त उत्तर रहा कि — यह है कि उनवानी प्रकरण में ग्राम देवलवास की जमाबंदी 2012 के मुताबिक खसरा नम्बर 377 रकबा 68 बीधा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज रेकार्ड है। गत खसरा नम्बर 377 से हाल खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 है. गैर मुमकिन आबादी वर्तमान भू—प्रबन्ध से दर्ज होकर आई है। यह कि अब्दुल रहमान बनाम राज. सरकार के निर्णय अनुसार गैर मुमकिन जोहड की भूमि अन्य कार्यो के प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तन नही हो सकती है। अतः खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 है. किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज न्यायोचित नही है। खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 है. गैर मुमकिन आबादी के बजाय गैर मुमकिन जोहड दर्ज किया जाना उचित है। खसरा नम्बर 143 में संघन आबादी बसी हुई है।

(4). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल मिलान क्षेत्रफल, भू— प्रबन्ध विभाग का धारा 121 का फार्म, जमाबंदी सं. 2014, जमाबंदी सं. 2012, जमाबंदी सं. 2012, जमाबंदी सं. 2012, जमाबंदी सं. 2012, जमाबंदी सं. 2012, जमाबंदी सं. 2032, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सं. 2071—74, जमाबंदी सं. 2071—74, नक्शा किस्तवार सं. 1995, नक्शा किस्तवार सन् 1978 पेश किए गए। प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किए गए।

(6). बहस वादी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार बुहाना की सुनी गई।

(7). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखिय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। **(1).** ग्राम देवलवास की जमाबंदी 2012 के मुताबिक खसरा नम्बर 377 रकबा 68 बीधा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज रेकार्ड है। गत खसरा नम्बर 377 से हाल खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 है. गैर मुमकिन आबादी वर्तमान भू—प्रबन्ध से दर्ज होकर आई है। **(2).** माननीय उच्च न्यायालय राज. जयपुर बउनवानी अब्दुल रहमान बनाम राज. सरकार के निर्णय अनुसार गैर मुमकिन जोहड की भूमि अन्य कार्यो के प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तन नही हो सकती है। **(3).** माननीय डच्च न्यायालय राज. जयपुर अब्दुल रहमान प्रकरण में निर्णय पारित कर आदेश दिया है कि जलागम क्षेत्रों के कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण को हटाने व इनमें बरसाती पानी की आवक के लिए 15 अगस्त 1947 की स्थिति बहाल करने का सुझाव देते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जलागम क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप मेनं स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। यह भी आदेश दिए थे कि कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं। **(4)** भू— प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने अपनी कार्यवाही में ग्राम देवलावास के गत खसरा नम्बर 377 किस्म गैर मुमकिन जोहड. दर्ज रिकार्ड थी जिस[illegible] खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 किस्म

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

गैर मु.आबादी जिसको भू–प्रबन्ध विभाग बिना किसी सक्षम आदेश के भूमि की किस्म परिवर्तन कर दी गई थी। जबकि इनको ऐसा कोई अधिकार नही था। (5) तहसीलदार बुहाना ने भी अपने जबाव में स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 है. किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित नही है। खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 है. गैर मुमकिन आबादी के बजाय गैर मुमकिन जोहड दर्ज किया जाना उचित है। अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम देवलवास की गत खसरा नम्बर 377 के हाल खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 है. किस्म गैर मुमकिन आबादी की किस्म "गैर.मुमकिन आबादी" के स्थान पर किस्म "गैर.मु.जोहड" दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 14-12-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला–झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 15/2018
निर्णय दिनांकः– 14.112.2021

ईश्वरसिंह **बनाम** जिला कलक्टर आदि

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से **पैरोकार सरकार तहसीलदार बुहाना** की उपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख **14.12.2021** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम देवलवास की गत खसरा नम्बर 377 के हाल खसरा नम्बर 143 रकबा 4.18 है. किस्म गैर मुमकिन आबादी की किस्म "गैर.मुमकिन आबादी" के स्थान पर किस्म "गैर.मु.जोहड" दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल करे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **14.12.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested